



2026:AHC:57964

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11246/2026

मोन् कुमार एवं अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: तरुण झा

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अनीश सक्सेना

1. श्री तरुण झा, अभियुक्त/आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता, उपस्थित हुए तथा निवेदन किया कि प्राथमिकी पीड़िता के पति द्वारा दिनांक 20.09.2025 को दर्ज कराई गई है, जिसमें दिनांक 14.09.2025 को दोपहर 1:30 बजे, जब पीड़िता पशु चराने गई थी, बलात्कार का अपराध किए जाने का आरोप है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त/आवेदक और पीड़िता एक ही गाँव के हैं। गाँव में आपसी गुटबंदी व्याप्त है, जिसके कारण यह झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने यह भी बताया किया कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के प्रावधान भी आरोपित किए गए हैं। उन्होंने सूचित किया कि अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा विचारण प्रारंभ हो चुका है, यद्यपि अभी तक अभियोजन साक्षियों का परीक्षण नहीं हुआ है। उन्होंने निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है, जो अभिलेख के पृष्ठ संख्या 48 पर संलग्न है। अतः, विशेष वाद विचारण 86 वर्ष 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोन् कुमार एवं अन्य), जो वाद अपराध संख्या 119 वर्ष 2025 से उत्पन्न है, धारा 70(1), 351(3) बी.एन.एस. तथा धारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3(2)(5) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना गोहन, जनपद जालौन के अंतर्गत लंबित कार्यवाही को निरस्त करने हेतु न्यायालय के हस्तक्षेप की प्रार्थना की गई है।

2. विपक्षी संख्या 2 और 3 (पीड़िता और सूचनाकर्ता) की ओर से होल्डिंग द ब्रीफ के रूप में विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश शुक्ला उपस्थित हुए और उन्होंने अधिवक्ता श्री मोहनीश अग्निहोत्री का वकालतनामा प्रस्तुत किया। इसे अभिलेख पर लिया जाता है। उन्होंने पक्षकारों के बीच हुए समझौते के तथ्य को स्वीकार किया।

3. राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि वर्तमान परिस्थितियों में पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष समझौता प्रस्तुत करने हेतु जाते हैं, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

4. मधुकर एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, एसीसी ऑनलाइन एससी 1415 (प्रासंगिक पैरा 5, 6 एवं 7) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 528 बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को समझौते के आधार पर निरस्त करने के संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति पर विचार किया है। यह अभिलिखित किया गया कि अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह भी अवलोकित किया गया कि धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध निःसंदेह गंभीर एवं जघन्य प्रकृति का है तथा सामान्यतः ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाही को पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर निरस्त करना हतोत्साहित किया जाता है और इसे सहज रूप से अनुमत नहीं किया जाना चाहिए। इसी दृढ़ता के साथ, दूसरी ओर यह भी अभिलिखित किया गया कि न्यायालय की धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्ति, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, सीमित नहीं है और इसका प्रयोग प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह अवलोकन उस परिस्थिति में किया गया जब पक्षकारों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया था तथा वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के इच्छुक थे और प्राथमिकी उसी प्रतिक्रिया का परिणाम थी। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिलिखित किया कि विचारण की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निरंतरता किसी भी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी, अपितु इसके विपरीत यह सभी संबंधित पक्षों, विशेषकर परिवादी, के लिए कष्ट को केवल लंबित करेगा तथा किसी उत्पादक परिणाम की संभावना के बिना न्यायालय पर अनावश्यक बोझ डालेगा।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह एक स्वीकृत तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त और पीड़िता दोनों वयस्क हैं, वे अपने निर्णयों के प्रति पूरी तरह सचेत हैं और अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं।

6. क्या पक्षकारों (सूचनाकर्ता, पीड़िता और अभियुक्त) ने वास्तव में समझौता किया है, इसका सबसे बेहतर निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर **तीस दिनों** के भीतर अपने बीच हुए समझौते को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विचारण न्यायालय मूल समझौता विलेख को अपने अभिलेख में सुरक्षित रखेगा।

7. विचारण न्यायालय द्वारा तब तक किसी भी समझौते पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि सूचनाकर्ता, पीड़िता और अभियुक्त उसके हस्ताक्षरकर्ता न हों और वे इसके सत्यापन हेतु व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों। किसी भी आपात स्थिति में, विचारण न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।

8. **साठ दिनों** की अवधि के लिए, केस अपराध संख्या 119 वर्ष 2025, धारा 70(1), 351(3) बी.एन.एस. और एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(5), थाना गोहन, जिला जालौन (उरई) से उत्पन्न विशेष विचारण संख्या 86 वर्ष 2025 (राज्य बनाम मोनू कुमार एवं अन्य) की कार्यवाहियों को आस्थगित रखा जाएगा, बशर्ते कि समझौता निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल और सत्यापित कर दिया जाए; अन्यथा, विचारण न्यायालय विचारण जारी रखेगा।



9. सभी पक्षकार, जो समझौता प्रस्तुत कर उसे सत्यापित करा लेते हैं, तत्पश्चात इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान करते हुए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु संयुक्त आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

10. उपरोक्त के आलोक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि धारा 528/ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

20 मार्च, 2026

(अवनीश सक्सेना, न्यायमूर्ति)